राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–NRHM / RCH / JSY / DBT / 2015/348 दिनांकः– 25.01.16

प्राचार्य, समस्त मेडिकल कॉलेज
संयुक्त निदेशक, समस्त संभाग
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले
जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, समस्त जिला अस्पताल – राजस्थान।

विषय : OJAS में किये गये गलत भुगतान की रिकवरी राशि को बैंक खाता में जमा करवाने बाबत्।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार के निर्देशानुसार माह अगस्त 2015 से प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना एवं शुभलक्ष्मी योजना के प्रथम परिलाभ को ओजस सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रदेश के समस्त मेडिकल कॉलेज एवं संबंधित अस्पताल, जिला/उपजिला/सैटेलाईट अस्पताल व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर हो रहे संस्थागत प्रसव उपरान्त लाभार्थी को सीधे ही बैंक खाते में हस्तान्तरित किया जा रहा है।

विगत चार माह से अधिक अवधि के दौरान कुछ केसेज में पाया गया है कि संस्थान स्तर पर केस प्रविष्टि के इन्द्राज के दौरान लाभार्थी का गलत खाता संख्या इन्द्राज किये जाने से परिलाभ अन्य खाते में हस्तान्ततरित हुये है। अतः ऐसे केसेज में किये गये गलत भुगतान की रिकवरी हेतु पूर्व में जारी निर्देश दिये जा चुके है। इसी क्रम में निर्देशित किया जाता है कि उक्त रिकवरी राशि संबंधित चिकित्सा संस्थान के बैंक खाते में जमा कर पुनः वास्तविक लाभार्थी को भुगतान जारी कर दी जाये। तथा उक्त की पूर्ण सूचना राज्य स्तर पर भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

विशिष्ट शासन सचिव
चिकि. स्वा. एवं प.क.
एवं मिशन निदेशक (एनएचएम)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, एवं मिशन निदेशक–एन.एच.एम।
2. निजी सहायक, निदेशक आरसीएच।
3. निदेशक वित्त, एनएचएम।
4. प्राचार्य, समस्त मेडिकल कॉलेज।
5. विभागाध्यक्ष, समस्त संबंधित चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज।
6. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक/ जिला लेखा प्रबंधक को भेजकर लेख है कि उपरोक्त सूचना समस्त सम्बन्धित चिकित्सा संस्थानों को उपलब्ध करावें।
7. राज्य वित्त प्रबंधक–एनएचएम
8. सेन्ट्रल सर्वर रूम – ईमेल हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

विशिष्ट शासन सचिव
चिकि. स्वा. एवं प.क.
एवं मिशन निदेशक (एनएचएम)